

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रांक:- 1476 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 6, सितम्बर, 2024 ।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : जनपद पिथौरागढ़ में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं० 418/2015 के अन्तर्गत विधान सभा गंगोलीहाट में सिनलेख से बुंगली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.20 है० वनभूमि का गैर वानकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रपोजल नं० FP/UK/ROAD/144566/2021)

सन्दर्भ: प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून का पत्रांक 1857/12-1 देहरादून दि० 26-02-2024 ।

महोदय,

है:-

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में उच्च स्तर से उल्लेखित कमियों का निराकरण कर आख्या बिन्दुवार निम्नवत् प्रेषित

क्र. सं०	माँगी गई सूचना (प्रश्न)	उत्तर
1	प्रस्ताव में संलग्न राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य से दूरी के प्रमाण पत्र में आवेदित वन क्षेत्र के समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से दूरी अंकित नहीं की गई है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा आवेदित वन क्षेत्र के समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क /वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी सम्बन्धी अभिलेख पोर्टल में यथा स्थान अपलोड कर संलग्न कर प्रेषित हैं।
2	प्रस्ताव में एन०पी०वी० की धनराशि का भारत सरकार द्वारा निर्धारित नई प्रचलित दरों के अनुसार ऑकलन कर प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	एन०पी०वी० की धनराशि नवीन दरों के आधार पर आंकलित कर संशोधित प्रपत्र पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है व संशोधित प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित है।
3	वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र फार्म-1 एवं फार्म -2 दोनों संलग्न किये गये है, जिससे विरोधाभाष उत्पन्न हो रहा है। उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र फार्म-1 एवं फार्म -2 में संशोधन कर यथास्थान अपलोड कर दिया गये है। निर्धारित प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित हैं।
4	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं० एफ०सी०- 11/43/2021 -एफ०सी० दि० 16-01-2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है।	गाईडलाईन दिनांक 08.06.2022 के अनुसार विषयक परियोजना हेतु परियोजना लागत के 2%(minimum) का Wildlife Management plan एवं 0.25%(minimum) का Soil & Moisture conservation plan तैयार कर संलग्न कर प्रेषित है।
a	In respect of linear projects, the stipulated norms of 2% and 0.5 % towards the cost of wildlife management plan and soil and moisture conservation plan, as provided in the ministry's guideline dated 08-06-2022 will be proportionate to the extent of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans. Whichever is more should be charged from the user agency.	
b	The provisions of wildlife management plan of soil moisture conservation Plan shall be approved by the competent authority in the state and accordingly, the deficit amount, if any from the money already realized from to the tune of 2% and /or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited in to the CAMPA account. उक्तानुसार Wildlife management plan and soil and moisture conservation plan तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न /अपलोड किया जाए।	

	उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगतनीय है कि प्रमुख वन संरक्षक (HOFF) उत्तराखण्ड देहरादून महोदय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मलवा निस्तारण स्थल के सम्बन्ध में प्रकरण पर निम्नलिखित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	
1	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात् आवश्यकतानुसार समतलीकरण कर जन उपयोगी कार्यों हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु कार्य योजना तैयार किया जाना उचित होगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
2	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात् क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मलवे को इस प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से स्थितीकरण किया जाय कि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
3	डम्पिंग यार्ड को पब्लिक यूटिलिटी के लिए उपयोग में लाया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
4	मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लोप को बेंचेस में इस प्रकार विभाजित किया जाय कि वह Stabilized हो जाए ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधा रोपण करने में सुविधा हो।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
5	पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरोनिमटनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा विकसित जैव-उर्वरक तकनीक को अपनाया जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
6	मलवा निस्तारण स्थल को वनीकरण के पारंपरिक तरीकों को Vesicular Arbuscular Mycorrhizae (VAM) और पौधों की जड़ों के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जायेगा। ये पौधों की जड़ों पर उगते हैं और पौधों को तेज गति से पानी और पोषण विशेषकर फासफोरस प्रदान करते हैं।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
7	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF) महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के साथ तालमेल रखते हुये प्रस्तावित मलवा निस्तारण स्थल को इस प्रकार उपयोग में लाया जाय कि अन्य स्थलों पर भी इस तकनीकी को मलवा निस्तारण हेतु अपनाया जा सके।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
8	वैकल्पिक / औचित्य - प्रयोक्ता एजेन्सी मलवा निपटान के लिए वैकल्पिक साईट (के0एम0एल0 फाईल के साथ) और प्रस्तावित अतिरिक्त डम्पिंग जोन के लिए उचित औचित्य / टिप्पणियाँ देगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मलवा निस्तारण योजना के0एम0एल0 फाईल सहित ऑन लाईन अपलोड की गयी है। मलवा निस्तारण योजना के अनुसार मलवे का सुरक्षित निस्तारण किया जायेगा।
9	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रस्तावित सड़क की आवश्यकता का औचित्य प्रस्तुत करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावित मार्ग का औचित्य एवं आवश्यकता परिवेश ऑन लाईन पोर्टल के पार्ट -। में अपलोड कर दी गई है। व हार्ड प्रति में संलग्न कर प्रेषित है।
10	के0एम0एल0 फाईल पर लाभान्वित होने के लिए प्रस्तावित गाँव के पास सभी मौजूदा सड़कों को चिन्हित किया जाय। मौजूदा सड़कों और प्रस्तावित सड़कों को अलग अलग रंग से चिन्हित किया जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा के0एम0एल0 फाईल पर लाभान्वित होने वाले गाँव के पास मौजूदा सड़कों को चिन्हित कर अलग-अलग रंगों से चिन्हित कर के0एम0एल0 फाईल ऑन लाईन अपलोड कर दी गई है।
11	बार चार्ट के अवलोकन से प्रदर्शित हो रहा है कि बार चार्ट में वनभूमि और गैर वनभूमि के लिए लगभग एक ही रंग का उपयोग किया गया है। वनभूमि और गैर -वनभूमि का	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि बार चार्ट निर्धारित रंगों के अनुसार ही तैयार किया गया है। आरक्षित वन हेतु -हरा

	प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग-अलग रंगों का उपयोग करके बारचार्ट अपलोड किया जाय।	रंग, वन पंचायत हेतु -नीला रंग, राज्य वनभूमि हेतु -पीला रंग तथा नाप भूमि हेतु -लाल रंग का प्रयोग किया गया है।
12	प्रभागीय वनाधिकारी की SIR में प्रस्ताव का विवरण शामिल करते हुये SIR संलग्न प्रारूप में तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी की SIR में प्रस्ताव का विवरण शामिल करते हुए पार्ट-2 में अपलोड कर दिया गया है व प्रपत्र संलग्न कर प्रेषित है।
13	प्रस्तावक विभाग को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि पर गन्दगी नहीं फेंकी जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शपथ पत्र यथास्थान अपलोड कर दिया गया है व संलग्न कर प्रेषित है।
14	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन्दिरा पर्यावरण भवन जोरबाग रोड़ नई दिल्ली के पत्र सं० FC-11/118/2021-FC दि० 25.01.2024 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों को परिवेश पोर्टल 2.0 में FCA, 2023 Guideline के अनुसार संशोधित कर ऑन लाईन अपलोड कर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	प्रस्तावक विभाग द्वार अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव अपलोड कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार आख्या संलग्नकों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
संलग्न:- यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्या:- 1476 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।


014

परियोजना का नाम:— जनपद पिथौरागढ़ में विधान सभा गंगोलीहाट में सिनलेख से बुंगली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.20 हे० वनभूमि का गैर वानकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रपोजल नं० FP/UK/ROAD/144566/2021).

एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2011-एफ०सी० दिनांक 06.01.2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है:—

1. ईको-क्लास श्रेणी..... V
2. हरियाली का घनत्व..... 0.2
3. एन०पी०वी० की दर प्रति हे०..... 1005210/—
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल..... 3.2 हे०
5. कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि..... 32,16,672/—



प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

परियोजना का नाम:— जनपद पिथौरागढ़ में विधान सभा गंगोलीहाट में सिनलेख से बुंगली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.20 है० वनभूमि का गैर वानकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रपोजल नं० FP/UK/ROAD/144566/2021).

Check list for site inspection by the DFO

Sl.No.	Particular	Comments of Inspecting Officer
1	Extent in hectares	3.2 hectare
2	Location (Lat-long) of the forest land proposed for diversion.	Start Point - 29° 36' 2.08" N 80° 01' 49.36" E End Point - 29° 34' 51.3" N 80° 00' 48.46" E
3	Legal status of the forest land (PF/RF/other types of forest land)	Civil forest, Van Panchayat, Nap Land
4	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	—
5	Any signs of encroachment.	No
6	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non-forest land as part of the proposed project by the User Agency. Details of action taken against the User Agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	No
7	Status of vegetation. Site quality, species composition etc.	Cheer
8	Importance of area from wildlife point of view. Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals, any endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	—
9	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area.	—
10	Current land use is this area managed as per prescriptions in the Working Plan and if not why?	Civil Forest & Village forest
11	Importance of the area from historical or religious point of view.	There is no historical or religious structure present in the proposed land. A certificate is attached regarding it by user agency.
12	Any dependent persons/families on this land.	No
13	Any displacement of persons proposed.	No

14	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting voice among the persons proposed to be displaced?	No
15	Compensatory afforestation proposed is on forest or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. If in the degraded forest land then what is the current Working Plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than to kms.	Compensatory afforestation is proposed on non forest land. Toposheet map & suitability certificate of proposed CA land is attached with the proposal.
16	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms. area.	The proposed area is not a part of any Protected area. And it is beyond 10 km from Askot wild life sanctuary.
17	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in this area.	There is no dependence of tribals in the proposed area.
18	Utility of the project, including the people living in close vicinity of the project.	1850 villagers of Khatigaon & Bungli village are getting benefitted by this project.
19	In case of renewal whether all the conditions stipulated in the earlier sanction order have been complied with.	-
20	Alternatives examined by the User Agency in case of non-site specific projects.	Alternative alinment is attached with the proposal.
21	A certificate by the User Agency that the forest land requested for diversion for non- forestry purpose is bare minimum.	Yes, Certificate is attached by the User Agency.
22	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	Ca scheme of 6.4 ha is attached with the proposal.
23	Any other issue of significance.	-
24	Specific recommendations of the DFO with reasons for the approval of the Project.	This project is recommended in public interest.

Signature - 
Name - Ashutosh Singh
Designation - ~~Divisional Forest Officer~~
Seal - **पिथीरागढ़ वन प्रभाव**
पिथीरागढ़.